न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो प्रथम), अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–75/2022

सरकार–––––––––––––––––––––बनाम––––––––––––––––––––सुखराम आदि।

22–05–2023

वाद पुकार गया। अभियुक्ता नीलम मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा अभियुक्त सुखराम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई आवेदन कागज सं0–12ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 नियत है। उभय पक्ष की ओर से बहस सुनी गयी।

उक्त प्रार्थना पत्र 12ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 अभियुक्तगण सुखराम व नीलम की ओर से पेश करते हुए यह अभिकथन करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ओमप्रकाश राजभर द्वारा मु0अ0सं0–226/2020 धारा–376, 506, 507 भा0दं0सं0, थाना–मालीपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर में सरकार–बनाम–सुखराम व नीलम के विरूद्ध दिनांकः 17–09–2020 को समय 19 बजे पंजीकृत कराया गया है, दौरान विवेचना धारा–507 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं पाया गया है। आरोप–पत्र धारा–507 भा0दं0सं0 में नहीं भेजा गया। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र दिनांकः 03–10–2020 को दिया गया है, जिसमें दिनांकः 17–09–2020 को लगभग 05:00 बजे शाम को वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी और शौच से वापस आ रही थी कि रास्ते में विपक्षी सं0–1 सुखराम चाकू दिखाकर जान से मार डालने की धमकी देकर गन्ने के खेत में खीचकर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया, वादी की पुत्री पीड़िता हल्ला गोहार मचाती रही। हल्ला गोहार की आवाज को सुनकर वादी और वादी के गॉव के कमलेश पाल, लालता प्रसाद, सोनू विश्वकर्मा व अन्य बहुत से लोग आ गये और उस युवक को मौके पर पकड़ लिए। सूचना 112 नम्बर पर पुलिस को दी गयी। पुलिस आई और वादी की पुत्री पीड़िता व अभियुक्त सुखराम को थाने पर ले गयी, थाने पर वादी की पुत्री पीड़िता व अभियुक्त सुखराम को थाना मालीपुर की पुलिस ने बैठाया, थाना–मालीपुर की पुलिस ने वादी की रिपोर्ट न लिखकर, बल्कि उसे थाने से छोड़ दिया। दिनांकः 17–09–2020 को प्रार्थी को चाकू के साथ गांव वालों द्वारा पकड़कर पीड़िता के साथ थाना मालीपुर भेजा जाना बताया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे धारा–156(3) दं0प्र0सं0 की घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। पीड़िता का बयान धारा–161 दं0प्र0सं0 दिनांकः 13–10–2020 को अंकित किया गया ''पीड़िता आयु लगभग 18 साल 07 माह में सुखराम को तीन साल से जानती हूं, जब मैं अपने मामा जी के यहॉ रहती थी, वहां पर आना जाना था, यह मेरी दीदी का देवर है और मुझसे शादी करना चाहा था तो मैंने कहा अपने घर से बात करें, तब बात थाने पर पता चला, उसके घर वाले शादी करने से तैयार नहीं है, इसलिए मेने शादी करने से इंकार किया।'' जबकि धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में शादी करने व इंकार करने की बात नहीं कही गयी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा–161 दं0प्र0सं0 व बयान में विरोधाभाष है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। पीड़िता की माता प्रेमशीला का बयान अंकित किया गया,

कि ''मेरी लड़की उनको मेरे मायके से जानती थी, क्योंकि वह मेरे मायके में अपनी बहन के घर आता जाता था, इसके बाद लड़के ने मेरी पुत्री से शादी कर लेने की इच्छा जताई थी, क्योंकि हम दोनों एक ही बिरादरी के थे, इसलिए हम लोग राजी हो गये थे, उसके बाद लड़के ने मेरे पति को अपने घर शादी की तारीख तय करने के लिए बुलाया था, तब मेरे पति उसके घर गये तो उसने व उसकी बहन नीलम शादी करने से साफ तौर से इंकार कर दिये।'' प्रथम सूचना रिपोर्ट में शादी की कोई बात नही है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर किसी चोट का होना अंकित नहीं किया गया है। सबूत पक्ष द्वारा दौरान, विवेचना अधिकारी द्वारा जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है उसके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा–376, 506 भा0दं0सं0 अब तक संदिग्ध प्रतीत नहीं होता है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध कथित अपराध साबित न होने के कारण उन्मोचित करने की कृपा की जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण सुखराम व नीलम के विरूद्ध नामजद तहरीर थाने पर प्रस्तुत की गयी, जिसके आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सुखराम द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्संग कारित किया गया तथा शादी के लिए कहने पर अभियुक्तगण सुखराम व नीलम द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अभियुक्तगण की ओर से पेश किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र में दिये गये तर्क व आधार उन्हें आरोप के स्तर पर उन्मोचित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त सुखराम द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता के साथ दिनांकः 17–09–2020 को समय लगभग 05:00 बजे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए गन्ने के खेत में खीचकर उस समय जबरदस्ती बलात्कार करना कहा गया है जब पीड़िता शौच से अपने घर वापस आ रही थी। अभियुक्त सुखराम व नीलम द्वारा उक्त घटना के बाद जान से मारने की धमकी देना भी अभिवर्णित है। धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत पीड़िता व अन्य तथ्यात्मक साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक घटना पीड़िता के साथ कारित किया जाना कहा है तथा धारा–164 दं0प्र0सं0 के तहत अंअिकत कथनों में भी पीड़िता ने अभियुक्त सुखराम द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार बलात्संग कारित किया जाना व अभियुक्तगण सुखराम व नीलम द्वारा जान से मारने की धमकी देना कहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य जरिये सी0बी0आई0–प्रति–डा0 अनूप कुमार श्रीवास्तव, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 3698** के मामले में सम्प्रेक्षित विधि व्यवस्था के अनुसार आरोप की विरचना के स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री या अभिलेख का विस्तृत परीक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं होता है और न ही यह विचार में लाया जाना अपेक्षित होता

है कि उक्त सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। **तमिलनाडु राज्य–प्रति–एन0 सुरेश राजन व अन्य, ए0आई0आर0 2014 एस0सी0 (अनुपूरक) 1982** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही सम्प्रेक्षित विधि व्यवस्था के अनुसार आरोप विरचना के प्रक्रम पर केवल यह देखा जाना अपेक्षित होता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने की उपधारणा का आधार पर्याप्त है अथवा नहीं।

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचन आवेदन में उन्मोचन हेतु लिये गये आधार अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया धारा–376, 506 के तहत अभियुक्त सुखराम के विरूद्ध एवं धारा–506 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्ता नीलम के विरूद्ध विचारण हेतु आपराधिक मामला गठित होता है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन 12ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली आरोप की विरचना हेतु दिनांकः 16–06–2023 को पेश हो।

दिनांकः 22–05–2023

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2023.05.22 15:42:14 GST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court